न्या... आधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :—श्री भागीरथ राम आर.ए.एस.

प्र0न0 — 19/2022

...नवान : —

1. मैनादेवी पत्नी प्रतापसिंह जाति जाट निवासी पचारवाली त0 भादरा जिला हनुमानगढ़।

:—वादी

बनाम

1. चन्दूराम पुत्र नेकीराम जाति जाट निवासी पचारवाली तहसील भादरा।
2. सुनीता पुत्री नेकीराम पत्नी देवीलाल जाति जाट निवासी पचारवाली तहसील भादरा हाल निवासी भोडिया खेडा तहसील व जिला फतेहाबाद।
3. मलागरी पुत्री नेकीराम पत्नी इन्द्राज जाति जाट निवासी पचारवाली तहसील भादरा हाल निवासी खरसण्डी तहसील नोहर।
4. सावत्री पुत्री नेकीराम पत्नी ताराचंद जाति जाट निवासी पचारवाली तहसील भादरा हाल निवासी खरसण्डी तहसील नोहर।
5. मित्र पुत्री नेकीराम पत्नी कपूरचंद जाति जाट निवासी पचारवाली तहसील भादरा हाल निवासी भोडिया खेडा तहसील व जिला फतेहाबाद।
6. एसबीआई शाखा भादरा जरिये शाखा प्रबंधक भादरा।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा। :—असल प्रतिवादीगण
8. कालूराम पुत्र अमरचंद जाति जाट निवासी पचारवाली तहसील भादरा।
9. संदीप पुत्र अमरचंद जाति जाट निवासी पचारवाली तहसील भादरा।
10. संतोष पुत्री अमरचंद जाति जाट निवासी पचारवाली तहसील भादरा।
11. सरोज पुत्री अमरचंद जाति जाट निवासी पचारवाली तहसील भादरा।
12. सीमा पुत्री अमरचंद जाति जाट निवासी पचारवाली तहसील भादरा।
13. माडीदेवी पत्नी अमरचंद जाति जाट निवासी पचारवाली तहसील भादरा।
14. काशी पुत्र चुनीराम जाति जाट निवासी पचारवाली तहसील भादरा।
15. गुगनराम पुत्र अमरचंद जाति जाट निवासी पचारवाली तहसील भादरा।
16. प्रताप पुत्र चुनीराम जाति जाट निवासी पचारवाली तहसील भादरा।
17. बनवारी पुत्र चुनीराम जाति जाट निवासी पचारवाली तहसील भादरा।
18. जगदीशप्रसाद पुत्र बीरबलराम जाति जाट निवासी पचारवाली तहसील भादरा।
19. भूपसिंह पुत्र बीरबलराम जाति जाट निवासी पचारवाली तहसील भादरा।
20. महावीर पुत्र मनीराम जाति जाट निवासी पचारवाली तहसील भादरा।
21. बैंक ऑफ बडौदा शाखा भादरा जरिये शाखा प्रबंधक।
22. आईसीआईसीआई बैंक सिकरोडी जरिये शाखा प्रबंधक।
23. पीएनबी बैंक भादरा जरिये शाखा प्रबंधक। :—तरतीबी प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ भागीरथ राम उपखण्ड अधिकारी भादरा के समक्ष वकील वादी श्री दीवानसिंह व वकील प्रतिवादीगण श्री मुंशीराम की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मोजा पचारवाली के खाता सं0 24/40 के खसरा सं0 102 की 3.3390है0, खसरा सं0 103/3 की 0.8470है0, खसरा सं0 142 की 1.7700है0, खसरा सं0 59/2 की 0.9230है0, खसरा सं0 62/2 की 1.1380है0 कुल 8.170है0 उपरोक्त वादभूमि में प्रतिवादी सं0 1 चन्दूराम के नाम 5/48 हिस्सा व प्रतिवादी सं0 2 सुनीता के नाम 1/48 हिस्सा [illegible] राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है में से चन्दूराम पुत्र नेकीराम व सुनीता पुत्री नेकीराम [illegible] करकर वादीया मैनादेवी को उक्त वादभूमि में से 20 हिस्सा यानि 1 बीघा यानि 0.2[illegible] की खातेदार काश्तकार घोषित की जाती है व यदि कृषि भूमि रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरांत उपरोक्त [illegible] राजस्व रेकॉर्ड में अमल दरामद किया जाकर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा उभयपक्षकान अपना अपना वहन करें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2026.05.07 11:53:57 IST
Reason: SelfAttested

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 28.01.2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(भागीरथ राम)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व, R.A.S

## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
### पीठासीन अधिकारी :—श्री भागीरथ राम आर.ए.एस.

प्रक0न0 – 19/2022

उनवान : –

1. मैनादेवी पत्नी प्रतापसिंह जाति जाट निवासी पचारवाली त0 भादरा जिला हनुमानगढ़।

:—वादी

बनाम

1. चन्दूराम पुत्र नेकीराम जाति जाट निवासी पचारवाली तहसील भादरा।
2. सुनीता पुत्री नेकीराम पत्नी देवीलाल जाति जाट निवासी पचारवाली तहसील भादरा हाल निवासी भोडिया खेडा तहसील व जिला फतेहाबाद।
3. मलागरी पुत्री नेकीराम पत्नी इन्द्राज जाति जाट निवासी पचारवाली तहसील भादरा हाल निवासी खरसण्डी तहसील नोहर।
4. सावत्री पुत्री नेकीराम पत्नी ताराचंद जाति जाट निवासी पचारवाली तहसील भादरा हाल निवासी खरसण्डी तहसील नोहर।
5. मित्र पुत्री नेकीराम पत्नी कपूरचंद जाति जाट निवासी पचारवाली तहसील भादरा हाल निवासी भोडिया खेडा तहसील व जिला फतेहाबाद।
6. एसबीआई शाखा भादरा जरिये शाखा प्रबंधक भादरा।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

:—असल प्रतिवादीगण

8. कालूराम पुत्र अमरचंद जाति जाट निवासी पचारवाली तहसील भादरा।
9. संदीप पुत्र अमरचंद जाति जाट निवासी पचारवाली तहसील भादरा।
10. संतोष पुत्री अमरचंद जाति जाट निवासी पचारवाली तहसील भादरा।
11. सरोज पुत्री अमरचंद जाति जाट निवासी पचारवाली तहसील भादरा।
12. सीमा पुत्री अमरचंद जाति जाट निवासी पचारवाली तहसील भादरा।
13. माडीदेवी पत्नी अमरचंद जाति जाट निवासी पचारवाली तहसील भादरा।
14. काशी पुत्र चुनीराम जाति जाट निवासी पचारवाली तहसील भादरा।
15. गुगनराम पुत्र अमरचंद जाति जाट निवासी पचारवाली तहसील भादरा।
16. प्रताप पुत्र चुनीराम जाति जाट निवासी पचारवाली तहसील भादरा।
17. बनवारी पुत्र चुनीराम जाति जाट निवासी पचारवाली तहसील भादरा।
18. जगदीशप्रसाद पुत्र वीरबलराम जाति जाट निवासी पचारवाली तहसील भादरा।
19. भूपसिंह पुत्र वीरबलराम जाति जाट निवासी पचारवाली तहसील भादरा।
20. महावीर पुत्र मनीराम जाति जाट निवासी पचारवाली तहसील भादरा।
21. बैंक ऑफ बडौदा शाखा भादरा जरिये शाखा प्रबंधक।
22. आईसीआईसीआई बैंक सिकरोडी जरिये शाखा प्रबंधक।
23. पीएनबी बैंक भादरा जरिये शाखा प्रबंधक।

:—तरतीबी प्रतिवादीगण

**दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम**

उपस्थित :— श्री ...सिंह वादी
श्री ...रीराम गोस्वामी प्रतिवादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2026.05.07 11:53:57 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय दिनांक: 28·01·2026

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मोजा पचारवाली के खाता सं0 ...4/40 के खसरा सं0 102 की 3.3390है0, खसरा सं0 103/3 की 0.8470है0, खसरा सं0 142 ... 1.7700है0, खसरा सं0 59/2 की 0.9230है0, खसरा सं0 62/2 की 1.1380है0 कुल 8. ...है0 बारानी खातेदारी कृषि भूमि में प्रतिवादीगण सं0 1 ता 5 के पिता नेकीराम का 1/8 ...हिस्सा राजस्व रिकार्ड दर्ज था।

उपखण्डाधिकारी (राजस्व,

उक्त वादभूमि में नेकीराम ने अपने हिस्सा में से 20 हिस्सा यानि एक बीघा यानि 0.253है0 बारानी कृषि भूमि बएवज कीमत रूपये 20000/– अखरी बीस हजार रूपये में दिनांक 29.11.1997 को लिखापढी करवाकर दिनांक 01.12.1997 को वादिया मैनादेवी पत्नी प्रतापसिंह जाति जाट निवासी पचारवाली तहसील भादरा को विक्रय कर बैयनामा उप पंजीयक भादरा के यहां तस्दीक करवाकर खरीददार वादिया मैनादेवी को काबिज बना दिया। बैयनामा की प्रति दावा के संलग्न है। वादिया मैनादेवी कतई भोलीभाली, अनपढ, अंगूठा छाप, पर्दानशीन व ग्रामीण महिला है। उसे यह कतई ज्ञान नहीं था कि भूमि खरीदने के बाद बैयनामा का इन्तकाल करवाना पडेगा। क्योंकि उसे रजिस्ट्रर के वक्त तहसील परिसर में यही बताया गया कि उप पंजीयक कार्यालय भादरा द्वारा अपने आप पटवारी को बैयनामा की नकल भेजकर इन्तकाल दर्ज हो जायेगा।

चूंकि नेकीराम द्वारा वादभूमि में अपने हिस्सा में से 20 हिस्सा यानि 1 बीघा यानि 0.253है0 भूमि वादिया को विक्रय की जा चुकी थी और नेकीराम द्वारा उक्त भूमि वादिया मैनादेवी को विक्रय कर उसका कब्जा सम्भला दिया गया था। लेकिन जमाबंदी में बदस्तूर नेकीराम का नाम ही चलता रहा जो बाद मृत्यु नेकीराम उसके वारिसान पुत्र चन्दूराम व पुत्रियां मलागरी, सावत्री, व मित्र ने विरासतन में प्राप्त वादभूमि में से अपने समस्त हिस्सा को अपने भाई चन्दूराम प्रतिवादी सं0 1 के पक्ष में जरिये दस्तवरदारी कर अपना हक व हिस्सा शून्य कर लिया। इस प्रकार वाद भूमि में नेकीराम के समस्त 1/8 हिस्सा में 5/48 हिस्सा प्रतिवादी सं0 1 चन्दूराम के नाम व 1/48 हिस्सा प्रतिवादीया सं0 2 सुनीता के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

प्रतिवादीगण सं0 1 ता 5 को शुरू से ही इस बात का ज्ञान था कि उनके पिता नेकीराम द्वारा वादभूमि में अपने हिस्सा में से यानि 20 हिस्सा यानि 1 बीघा यानि 0.253है0 भूमि वादिया मैनादेवी को विक्रय की जाकर उसका कब्जा सम्भला दिया था। तथा मौका पर खरीददार वादिया काबिज काश्त है। लेकिन फिर भी प्रतिवादीगण सं0 1 ता 5 ने अमला माल से साज कर विरासती व दस्तबरदारी इन्तकाल के जरिये नेकीराम के हिस्सा की भूमि को प्रतिवादी सं0 1 व 2 ने अपने नाम करवा लिया। उक्त इन्तकाल इन्तकाल को वादिया अवैध व शून्य घोषित करवाकर नेकीराम से खरीदशुदा कृषि भूमि 20 हिस्सा यानि 1 बीघा यानि 0.253है0 भूमि की वादिया मैनादेवी अपने हिस्से की भूमि अपने नाम दर्ज करवा पाने का कानूनी अधिकारी है। यह ही बिनाय मुखास्मत है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के उपरान्त प्रतिवादी 1 की ओर से वकील श्री मुंशीराम ने उपस्थिति दर्ज करवाई व जवाब हेतु नो इन्सट्रकशन अंकित किया। व प्रतिवादी सं0 2 ता 5 की तामिल रजिस्टर्ड डाक से करवाई गई तामिल उपरान्त भी हाजिर अदालत नहीं होने के कारण प्रतिवादीगण सं0 2 ता 5 के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी सं0 6 की ओर से राजेन्द्र गोयल ने वकालतनामा पेश किया। वकील वादी ने प्रतिवादीगण सं0 8 ता 23 की तरफ से कोई अनुतोष नहीं चाहने के कारण पक्षकार नहीं बनाने का तर्क अंकित किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2026.05.07 11:53:57 IST
Reason: SelfAttested

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने निवेदन किया रोही मौजा पचारवाली के खाता सं0 24/40 के खसरा सं0 102 की 3.3390है0, खसरा सं0 103/3 की 0.8470है0, खसरा सं0 142 की 1.7700है0, खसरा सं0 59/2 की 0.9230है0, खसरा सं0 ?2/2 की 1.1380है0 कुल 8.170है0 बारानी खातेदारी कृषि भूमि में प्रतिवादीगण सं0 1 ता 5 के

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

खाता नेकीराम का 1/8 हिस्सा राजस्व रिकार्ड दर्ज था उक्त वादभूमि में नेकीराम ने अपने हिस्सा में से 20 हिस्सा यानि एक बीघा यानि 0.2530है0 बारानी कृषि भूमि बएवज कीमत रूपये 20000/– अक्षरी बीस हजार रूपये में दिनांक 29.11.1997 को लिखापढी करवाकर दिनांक 01.12.1997 को वादिया मैनादेवी पत्नी प्रतापसिंह जाति जाट निवासी पचारवाली तहसील भादरा को विक्रय कर बैयनामा उप पंजीयक भादरा के यहां तस्दीक करवाकर खरीददार वादिया मैनादेवी को काबिज बना दिया।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में पेश रजिस्ट्री व पटवारी रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। नेकीराम द्वारा वादभूमि में अपने हिस्सा में से यानि 20 हिस्सा यानि 1 बीघा यानि 0.253है0 भूमि वादिया मैनादेवी को विक्रय की जाकर उसका कब्जा सम्भला दिया था। तथा मौका पर खरीददार वादिया काबिज काश्त है। चुंकि नेकीराम द्वारा उक्त 20 हिस्सा भूमि विक्रय की गई थी उक्त भूमि का वादिया द्वारा नामान्तरण दर्ज नहीं करवाया गया। नेकीराम की मृत्यु उपरान्त उक्त भूमि का विरासतन नामान्तरण मृतक नेकीराम के वारिसान के नाम दर्ज हो गया। व नेकीराम की पुत्रियां मलागरी, सावत्री व मित्र ने अपने हक व हिस्सा की भूमि की जरिये दस्तबरदारी से चन्दूराम के पक्ष दर्ज करवा दी। वर्तमान में रोही मोजा पचारवाली के खाता सं0 24/40 के खसरा सं0 102 की 3.3390है0, खसरा सं0 103/3 की 0.8470है0, खसरा सं0 142 की 1.7700है0, खसरा सं0 59/2 की 0.9230है0, खसरा सं0 62/2 की 1.1380है0 कुल 8.170है0 खातेदारी कृषि भूमि नेकीराम के वारिसान चन्दूराम के नाम 5/48 हिस्सा व सुनीता के नाम 1/48 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। उपरोक्त चन्दूराम के नाम से 5/48 हिस्सा व सुनीता के नाम 1/48 हिस्सा में हिस्सानुसार कम की जाकर वादिया के नाम खरीदशुदा 20 हिस्सा यानि 1 बीघा यानि 0.253है0 भूमि की खातेदार दर्ज किया जाना उचित है। उपरोक्त विवेचना के आधार पर इस प्रकार उपरोक्त विवेचानुसार वाद वादी स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

अतः वाद वादी मुताबिक अनुतोष स्वीकार किया जाता है तथा घोषणा की जाती है की रोही मोजा पचारवाली के खाता सं0 24/40 के खसरा सं0 102 की 3.3390है0, खसरा सं0 103/3 की 0.8470है0, खसरा सं0 142 की 1.7700है0, खसरा सं0 59/2 की 0.9230है0, खसरा सं0 62/2 की 1.1380है0 कुल 8.170है0 उपरोक्त वादभूमि में प्रतिवादी सं0 1 चन्दूराम के नाम 5/48 हिस्सा व प्रतिवादी सं0 2 सुनीता के नाम 1/48 हिस्सा की भूमि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है में से चन्दूराम पुत्र नेकीराम व सुनीता पुत्री नेकीराम हिस्सा अनुसार कम की जाकर वादीया मैनादेवी को उक्त वादभूमि में से 20 हिस्सा यानि 1 बीघा यानि 0.253है0 की खातेदार काश्तकार घोषित की जाती है व यदि कृषि भूमि रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरांत उपरोक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाकर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करें। पर्चा डीक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 28.01.2026 को मेरे द्वारा लिखवायी जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2026.05.07 11:53:57 IST
Reason: Self Attested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा जिला-हनुमानगढ़

(भागीरथ राम)
उपखण्डाधिकारी (राजस्व),
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़